

राजस्थान सरकार

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ-2()बजट/आंव./ICDS/17/23556/111 जयपुर, दिनांक: 6-2-18

उपनिदेशक,

महिला एवं बाल विकास विभाग (समस्त)

बाल विकास परियोजना अधिकारी,

समेकित बाल विकास सेवाएँ (समस्त)

विषय:- डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (मशीन विद मैन) के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन वर्ष 2017-18.

संदर्भ:- आयुक्त महोदया के यू.ओ. नोट क्रमांक 20373 दि. 2.2.18

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आई.सी. डी.एस. मिशनमोड अन्तर्गत समस्त जिला/परियोजना कार्यालयों में स्वीकृत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (मशीन विद मैन) के लिए 8500/- प्रति माह (अधिकतम) की दर से 2 माह के भुगतान हेतु कुल रूपये 17,000/- (केन्द्रीय सहायता मद में 10,200/- एवं राज्य निधि मद में 6,800/-) प्रति जिला/परियोजना कार्यालय निम्न लेखा शीर्ष में बजट आवंटन किया जाता है:-

मांग संख्या-33

2236- पोषण

02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण

101- विशेष पोषण कार्यक्रम

(01)- समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के माध्यम से

[02]- एकीकृत बाल विकास योजना

41- संविदा व्यय (केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि)

उक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

वित्तीय सलाहकार

क्रमांक:-एफ-2()बजट/आंव./ICDS/17/23556/111, जयपुर, दिनांक:6-2-18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संयुक्त निदेशक (मो.), मुख्यालय को संदर्भित यू.ओ. नोट के क्रम में।
2. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार